Shri Alagesan: Yes, it is definitely more than the number for the previous year.

Shri T. B. Vittal Rao: May I know what has been the demand of the colliery-owners in Bihar and Bengal and what have been the actual supplies? May I also know when this disparity will be removed?

Shri Alagesan: Their demand may be slightly more than what we are able to supply at present, but these demands, the hon. Member knows, are adjusted by the Coal Commissioner. We are fairly able to meet the demands.

रेलवे कर्मचारी

*२०६१. श्री पी० एल० बारुपाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि वरिष्ठता के प्रयोजन से उत्तर रेलवे में ५५—१३० रुपये के वेतन-मापदण्ड में दिल्ली-रेवाड़ी-फाजिलका सैक्शन के कर्मचारियों की तुलना में भूतपूर्व बीकानेर रेलवे के कर्मचारियों को उनके द्वारा टिकट कलक्टरों, माल क्लर्कों ग्रौर नम्बर टेकरों के रूप में की गई सेवा को ही जोड़ा है ग्रौर उस ग्रेड के पूरे सेवा काल को नहीं जोड़ा है; ग्रौर
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री ग्रलगेशन)ः (क) जी हां ।
- (ख) एक्स बीकानेर स्टेट रेलवे में टिकट कलक्टर, नंबर टेकर और माल-बाबुओं का चुनाव दूसरी श्रेणियों (categories) के कर्मचारियों में से किया जाता था, क्योंकि इनकी सीधी भर्ती नहीं होती थी। इस तरह किसी खास श्रेणी में बदल कर ग्राने पर कर्मचारियों की सीनियाँरिटी भी उनके तबादले की तारीख से मानी जाने लगी। यूनियन की सलाह से उत्तर रेलवे इस मामले पर फिर विचार कर रही है।

श्री पी० एल० बारुपाल: क्या में जान सकता हूं कि वर्तमान समय में क्लर्क्स ग्रीर स्टेशन मास्टर्स को रेलवे विभाग के द्वारा ग्रधिक तरक्की नहीं दी जाती है ग्रीर जो लोग सीनियर हैं उनको मौका न दे कर दूसरे लोगों को सीघे ले लिया ाता है ?

रेलवें तथा परिवहन मंत्री (श्री एस० बी० शास्त्री): जो अभी माननीय सदस्य ने कहा वही उन्होंने अपने सवाल में भी पूछा है और उसका जवाब यह दिया गया है कि इसमें कुछ ऐसी बात जरूर है जिससे कि स्टाफ को दिक्कत हुई। इसिलये जो रेलवे वर्कर्स की युनियन्स हैं उनकी सलाह से हम इस पर फिर विचार कर रहे हैं और जो कुछ कमी रह गई है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे।

KANKANEE COLLIERIES

*2092. Shri T. B. Vittal Rao: Will the Minister of Railways be pleased to state:

- (a) whether there has been any subsidence observed on the railway track near Kankanee collieries:
- (b) if so, whether the management of Bhowra Kankanee Ltd. have been asked to pay any damages; and
 - (c) if so, the amount claimed?

The Deputy Minister of Railways and Transport (Shri Alagesan): (a) No, Sir.

· (b) and (c). Do not arise.

Shri T. B. Vittal Rao: May I know whether the Railway Board has taken steps already to see that the coal is not raised in areas where the railway track passes?

Shri Alagesan: There are the usual precautions and I take it that they are being observed.

घरेलू नौकर

*२०१४. श्री भक्त दर्शन: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों तथा नगरों में घरेलू नौकरों की किठ-नाइयों श्रौर श्रमुविधाश्रों को दूर करने के लिये क्या कोई प्रयत्न किये गये हैं?

श्रम उपमंत्री (श्री प्राविद मली): घरेलू कर्मचारियों को न्यनतम वेतन कानन में लाने के प्रक्न पर १६५४-५५ में विचार किया गया था, श्रीर राज्य सरकारों की इस बारे में सलाह भी ली गई थी। श्रिष्ठिक तर राज्य सरकारें इसके पक्ष में नहीं थीं। इस कानून को घरेल् कर्म-चारियों के लिये ग्रमल में लाना कठिन मालूम हुम्रा। इसके ग्रलावा इसको लागू करने से इन कर्मचारियों की संख्या घट जायेगी।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के घ्यान में यह बात ग्राई है कि दूर न जाकर वे यहीं दिल्ली में जहां कि केन्द्रीय सरकार की राजधानी है, ग्राये दिन घरेलू कर्मचारियों को गाली गलौज, डांट डपट या मार पीट का सामना करना पड़ता है, ग्रीर क्या गवर्नमेंट इस बात की ग्रावश्यकता महसूस नहीं करती कि उनकी स्थित में सुधार किया जाये ?

श्री ग्राबिद ग्रली: इस बारे में यूनियन की तरफ से एक पत्र ग्राया था जिसको कि दिल्ली सरकार के पास भेजा दिया गया था कि वह जो मुनासिब समझें वह कारवाई करें।

श्री भक्त दर्शन : इस समय श्रम सम्बन्धी जो कानून हैं क्या गवर्नमेंट ने उन सब की जांच कर ली है कि उनमें से कोई घारा घरेलू कर्म-चारियों के सम्बन्ध में लागू की जा सकती है या नहीं, या उनके सिवा कोई नया कानून इस सम्बन्ध में बन सकता है या नहीं?

श्री श्राबिद श्रली: मैं ने जवाब में भी श्रर्ज किया है कि इन कानूनों को घरेलू कर्मचारियों के लिए श्रमल में लाना किटन मालूम होता है, इसलिए उनको लागू नहीं किया गया है। यह भी डर है कि ऐसा करने से उनकी संख्या भी कम हो जायेगी। श्रधिकतर स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से यही जवाब श्राया है।

श्री भक्त दर्शन: क्या गवर्नमेंट ने इस विषय में कोई सर्वेक्षण किया है या करने का विचार कर रही है कि इस वक्त देश भर में कितने घरेलू कर्मचारी हैं और उनको कितना वेतन मिलता है? क्या इस प्रकार के आंकड़े जमा किये गये हैं या जमा करने का विचार किया जा रहा है।

श्री ग्राबिद ग्रली: यह मामला स्टेट गवर्नमेंट्स से सम्बन्ध रखता है और उनकी निगरानी में है। हमारे पास इस बारे में जो खत ग्राया था, उसको हमने स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज दिया था और उसी पर छोड़ दिया था कि वह जो कार्यवाही मुनासिब समझे, करे।

Shri N. B. Chowdhury: May I know whether, apart from the State Governments, the Government of India have

any proposal regarding the regulation of the hours of work of the domestic servants in the Centrally-administered areas?

Oral Answers

Shri Abid Ali: No. Sir.

पंडित डी॰ एन॰ तिवारी: क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इन लोगों का एक संगठन है ग्रौर उसने कुछ डिमांड्स पेश की हैं? उनकी डिमांड्स क्या हैं?

श्री श्राबिद श्रली : हमारे पास सिर्फ दिल्ली की घरेलू कर्मचारी यूनियन की तरफ से एक खत ग्राया था, जिसमें काम के घंटे, वेतन ग्रौर छुट्टियों वगैरह की बातें थीं।

पंडित डी॰ एन॰ तिवारी: क्या गवर्नमेंट यह महसूस करती है कि ये डिमांड्स इम्प्रैक्टिकेबल हैं ग्रौर काम में नहीं लाई जा सकती हैं ?

श्री म्राबिद म्रली : इसका जवाब में पहले ही दे चुका हूं।

PROVIDENT FUND

*2095. Shri Shivananjappa: Will the Minister of Labour be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that Planning Commission is considering the proposal to raise the rate of contribution to Provident Fund from 6½ per cent. to 8½ per cent. of the total emoluments;
- (b) if so, whether this increased rate will apply to both employees and employers; and
- (c) whether the contribution to emoluments will be inclusive of basic wages, dearness allowance and food allowance?

The Deputy Minister of Labour (Shri Abid Ali): (a) to (c). The Planning Commission are of the opinion that the proposal to enhance the rate of contribution from $6\frac{1}{4}$ to $8\frac{1}{3}$ per cent. should be further studied.

Shri Shivananjappa: What is the reaction of the Government to this proposal?